

32/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
21-4-22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 25-5-22 को पेश हो।</p>
25/5/22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 23-6-22 को पेश हो।</p>
23/6/22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 1/9/22 को पेश हो।</p>
1/9/22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 6/9/22 को पेश हो।</p>
06/9/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, पाया कि प्रकरण विगत 03 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन पर्याप्ततम अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मन तामीली नहीं करवाई गई है, ऐसी सूरत में वादी को आगे ओर अवसर दिया जाना स्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा वादी का वाद सम्मन तलबाना पेश नहीं किए जाने के अभाव के कारण वादी का वाद आदेश 09 नियम 02 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>

सहायक क्लर्क  
(S.D.O.) बाजोतरा